

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:—नाना

विपक्षी:— नन्दु

किस्म मुकदमा:—वाद

पत्रावली संख्या:—308 / 19

सन:— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 23.12.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण वास्ते तलबी में नियत हैं। प्रकरण में लम्बे समय से तलबी नहीं करायी गई हैं। आज भी प्रकरण में पैरवी हेतु कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता हैं।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">डा० मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) गिर्वा – उदयपुर</p>	

